भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3032
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं

3032. श्री ए. राजा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान झांसी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई आग लगने की घटना सहित देश के विभिन्न अस्पतालों में आग लगने की दुर्घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वाले/झुलसने वाले रोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) क्या अग्नि सुरक्षा लेखा संपरीक्षा करने और आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई सलाह/अनुदेश जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अग्नि दुर्घटनाओं में मारे गए/गंभीर रूप से झुलसे रोगियों से संबंधित सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखी जाती है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सरकारी अस्पतालों में अग्नि और जीवन सुरक्षा के संबंध में स्थिति की समीक्षा की और व्यापक जांच के बाद, 'अग्नि और जीवन सुरक्षा' संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और देश भर के सरकारी अस्पतालों में इस मंत्रालय के दिनांक 28.09.2020 के पत्र द्वारा परिचालित किए गए हैं ।

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श, जांच सूची जारी की है:-

i. सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अग्नि की रोकथाम और अनुक्रिया योजनाओं की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करना तथा सभी स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल, निकासी प्रक्रियाओं और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देना।
ii. निकासी योजनाओं सहित नियमित निवारक अग्नि सुरक्षा अभ्यास आयोजित करना।
iii. विद्युत परिपथों और प्रणालियों के नियमित और इष्टतम निवारक रखरखाव जैसे उपयुक्त अग्नि की रोकथाम उपायों का कार्यान्वयन और रखरखाव करना।
iv. धुआं अलार्म, समाप्ति की तारीख की नियमित जांच के साथ अग्निशामक, स्प्रिंकलरों आदि सहित अग्नि संसूचन और शमन प्रणालियों का इंस्टालेशन और इष्टतम रखरखाव।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का वास्तविक निरीक्षण करने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत यथावश्यक उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित करें जिनमें स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और लोक निर्माण विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल हों।

*****